न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 150/2022 निर्णय दिनांक 06.01.2023

ऑनलाईन नंबर 2022/297

लक्ष्मीनारायण सोलंकी पुत्र गोपाल सोलंकी जाति सोलंकी निवासी छींपा का मोहल्ला गंगाशहर रोड़ बीकानेर। —वादी—

बनाम

1. राजस्थाान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़
2. मघीदेवी सोलंकी पत्नी लक्ष्मीनारायण सोलंकी जाति सोलंकी निवासी छींपा का मोहल्ला गंगाशहर रोड़ बीकानेर। —प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री श्रवण कुमार गोदारा अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं संपठित धारा 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के नाम से खातेदारी के खत खसरा नम्बर 202 तादादी 0.9500 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 210 तादादी 3.1800 हैक्टेयर रोही शेरूणा में स्थित है। उक्त खेत वादी का खेत सड़क के दक्षिणी तरफ एवं प्रतिवादी संख्या 2 का खेत सड़क के उतरी तरफ है जो वादी के मौके पर 1.2500 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 2 के मौके पर 2.800 हैक्टेयर है लेकिन राजस्व नक्शा सीट में तरमीम मौके के विपरीत होने से खसरा नम्बर 202 की तादादी 0.9500 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 210 की तादादी 3.1800 हैक्टेयर है जो मौके कब्जे के विपरीत है। वादगत खेत मौके पर वादी का खेत सड़क के दक्षिणी तरफ 1.2500 हैक्टेयर एवं प्रतिवादी संख्या 2 का उतरी तरफ 2.8800 हैक्टेयर है जो राजस्व रिकॉर्ड में मौके कब्जे के विपरीत सड़क की तरमीम मौके से उतरी तरफ होने से वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में तादादी एवं रकबा मौके कब्जे के बिल्कुल विपरीत दर्ज है। वादगत खेतों के राजस्व नक्शा में राजस्व कर्मचारियों ने वादगत खेतों में सड़क की तरमीम मौके के अनुसार न करते हुए मौके के विपरीत कर दी जिससे वादगत खेतों के रकबे एवं मौके के रकबे में

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.02 11:16:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

काफी अन्तर आ गया वादगत खेतों का मौका राजस्व नकशा एवं रिकॉर्ड से बिल्कुल विपरीत है। वादगत खेत राजस्व नक्शा सीट में मौके कब्जे के विपरीत दर्ज है जो राजस्व कर्मचारियों ने बिना मौका जांच किए वादगत खतों की तरमीम मौके के विपरीत कर दी जिसको वादी मौके कब्जे के अनुसार करवाने का अधिकारी है। वादी ने दिनांक 04.08.2022 को राजस्व रिकॉर्ड की नकलें निकलवाई तो पता चला की वादी के खेतों में सड़क की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत मौके से उतरी तरफ है जिसको वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से मौके कब्जे के अनुसार करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकॉर्ड सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी की इनकारी से वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी के खेत के राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत होने से वादी को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। वादी की भूमि रोही शेरूणा में अवस्थित है जो श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। यह है कि दावा जानकारी के अन्दर मियाद एवं पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमाने का निवेदन किया गया है:–

(क) कि रोही शेरूणा के खसरा नम्बर 202 तादादी 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 तादादी 3.1800 हैक्टेयर के बजाय खसरा नम्बर 202 तादादी 1.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 तादादी 2.8800 हैक्टेयर घोषित की जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे के अनुसार घोषित की जावें।

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि रोही शेरूणा के वादगत खेत खसरा नम्बर 202 तादादी 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 तादादी 3.1800 हैक्टेयर के बजाय खसरा नम्बर 202 तादादी 1.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 तादादी 2.8800 हैक्टेयर दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादीगण हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया। बहस

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.02 11:16:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रतिवादीगण को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

रोही ग्राम शेरूणा के खेत खसरा नम्बर 202 तादादी 0.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 210 तादादी 3.1800 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नम्बर 202 तादादी 1.30 हैक्टेयर किस्म बारानी खसरा नम्बर 210 तादादी 2.89 हैक्टेयर किस्म चाही एवं खसरा नंबर 203 तादादी 1.31 हैक्टयर किस्म गै.मु. सडक के स्थान पर खसरा नंबर 203 तादादी 1.25 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सड़क दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। डिक्री जारी हो। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.02 11:16:04 IST
Reason: SelfAttested

N

S

नकल नक्शा - मैट्रिक शीट

ग्राम - सेरूणा, तहसील - श्रीडूंगरगढ

जिला - बीकानेर

पैमाना :- 1 : 4000

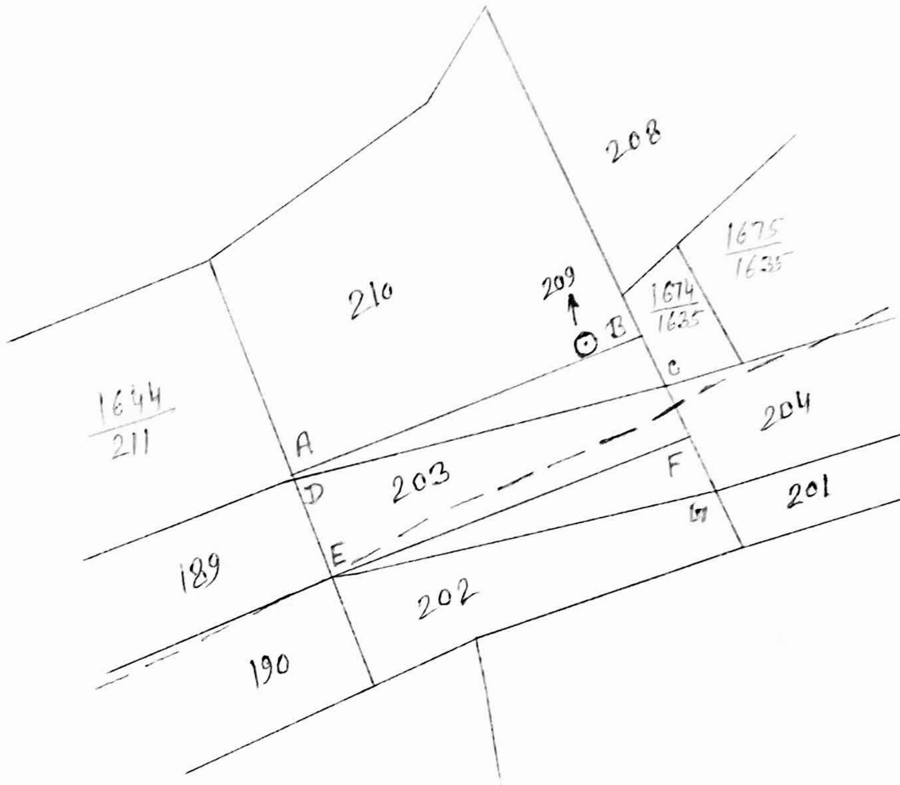

संकेत :-

ख.नं. 203 की सीमा रेखाएं जो अशुद्ध होने के कारण डिलिट (विलोपित) करनी है = बिन्दु D से C व E से G

ख.नं. 203 की सीमा रेखाएं जो शुद्ध करके नई रेखांकित करनी है = बिन्दु A से B व E से F

पटवारी
16/12/2022
प ह. सेरूणा

नोट :- नकल नक्शा (मैट्रिक शीट) मुताबिक असल व मौके के है तथा राजकार्य हेतु नि:शुल्क तैयार की गई।

पटवारी
16/12/2022
प ह. सेरूणा

C.S.

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.02 11:16:04 IST
Reason: SelfAttested

5/1/2023
तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)